

अनुलग्नक - 4ग

संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुरूप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित निवल आय पर प्रकटीकरण आंकड़े संबंधी विवरण

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़
क	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित निवल आय	2,769,957.40
	जिसमें	
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	814,746.30
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-
3	वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसीटी क्षतिपूर्ति उपकर	-
4	कार्यपोरेशन कर	815,846.17
5	आय पर कर	910,605.29
6	होटल प्रासियों से प्राप्त कर	0.24
7	द्वाज पर कर	17.29
8	अनुषंगी लाभ कर	-4.46
9	आय और व्यय पर अन्य कर	-136.2
10	विविध प्रासियां कर- संपदा शुल्क	1.14
11	सम्पत्ति पर कर	-15.75
12	प्रतिभूति लेनदेन कर	33,734.61
13	वस्तु लेनदेन कर	414.29
14	सीमा शुल्क	156,578.50
15	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	33,820.71
16	सेवा कर	415.87
17	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	3,933.40
ख	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित निवल आय में राज्यों का हिस्सा (@41%)	1,135,682.53

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी राज्यों के हिस्से संबंधी विवरण

क	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी राज्यों का हिस्सा	1,136,306.00	प्रासि बजट 2025-26 के अनुलग्नक 4ख के कॉलम 12 में राज्यवार विवरण दिया गया है
	जिसमें		
1.1	सं.अ. 2023-24 में जारी राज्यों का हिस्सा	1,097,342.40	प्रासि बजट 2024-25 के अनुलग्नक 4क के कॉलम 12 में राज्यवार विवरण दिया गया है
1.2	सं. अ. 2023-24 के बाद जारी राज्यों का अतिरिक्त हिस्सा	25,000.00	प्रासि बजट 2024-25 के अनुलग्नक 4ख के कॉलम 13 में राज्यवार विवरण दिया गया है
1.3	सं. अ. 2024-25 में जारी राज्यों का हिस्सा	13,963.60	प्रासि बजट 2025-26 के अनुलग्नक 4क के कॉलम 12 में राज्यवार विवरण दिया गया है
ख	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित निवल आय में राज्यों के हिस्से का अंतिम निपटान [(+) अतिरिक्त अंतरण /(-) वसूलियां	-623.47	प्रासि बजट 2026-27 के अनुलग्नक 4क के कॉलम 12 में राज्यवार विवरण दिया गया है